...der Singh
Advocate

Civil Court Compound
Dehradun
397841103

CANCELLED CANCELLED

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु
प्रतिलिपि हेतु न्यायालय शुल्क– 10/– रूपयें

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
60 23 SEP 2013	24-9-13	24-9-13	[illegible]

न्यायालय.........................
अपर सिविल जज (सी०डि०)
देहरादून
मूलवाद संख्या 358 सन् 2013
[illegible]

[illegible]
S. S. [illegible]

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय से निरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे का मूल्यांकन अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया है?यह वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों पर आधारित है अतः इसके सिद्धी का भार भी प्रतिवादी पर है।

वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे का मूल्यांकन अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है।

जबकि इसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा वादी के विरूद्ध उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा योजित किया गया है तथा उस पर नियमानुसार अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा वादी के विरूद्ध दघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा योजित किया गया है और प्रतिवादी ने नियमानुसार प्रतिदावे का मूल्यांकन करते हुए उस पर अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया है। जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे विदित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया हो। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिदावे का मूल्यांकन उचित किया गया है तथा उस पर अधिकतम न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु लंच बाद पेश हो।

21.9.2013

सिविल जज(सी.डि.)

देहरादून।

No evidence is required

21/9/13

दिनांक 21.9.2013

पत्रावली लंच बाद लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। वाद पुकारा गया । पत्रावली मेगा लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। उपयपक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

पक्षकारों की ओर से अभिकथन किया गया कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना है। अतः पक्षकारों की साक्ष्य समाप्त की गई।

पक्षकारों की ओर से कथन किया गया कि उनका आपस में समझौता हो गया है अतः उनके द्वारा दाखिल राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 के आलोक में वाद का निस्तारण कर दिया जाये।

Received 21/9/13

S. S.

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पत्र 22ए/1 लगायत 22ए/2 प्रस्तुत किया गया है तथा पक्षकारों के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किया गया। उक्त राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, पक्षकारों द्वारा उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव एवं प्रलोभन के स्वतंत्र सहमति से किया जाना बताया गया। जिसके बाद पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा हस्ताक्षरित किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया था।

ऐसी परिस्थिति में जबकि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा 22ए/1लगायत 22ए/2 के आलोक में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादी के मध्य हुए राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 के आलोक में निर्णीत किया जाता है। राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

21.9.2013
सिविल जज (सी.डि.)
देहरादून।

सत्य प्रतिलिपि
24-9-13

मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग (सिविल),
जनपद-न्यायालय, देहरादून

Advocate

Civil Court Compound
Dehradun
9897841103

(5 रु.) भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (Rs.5)
(5 रु.) भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (Rs.5)

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु
प्रतिलिपि हेतु न्यायालय शुल्क- 10/- रुपयें

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
60 23 SEP 2013	24 SEP 2013	24 SEP 2013	[signature]

न्यायालय.........................
अपर सिविल जज (सी०डि०)
देहरादून
मूलवाद संख्या 358/13
[illegible]

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

संलग्न नकल आदेश

समक्ष न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ वर्ग देहरादून।

मूलवाद संख्या 22/2 वर्ष 2013

श्री सुखवीर सिंह विपरीत श्री गोविन्द सिंह

महोदय,

पक्षकारों के मध्य सभ्रांत व्यावितयों के पड़ जाने के कारण पक्षकारों में निम्न समझौता हो गया है:–

1– यह कि पक्षकारों के मध्य यह तय पाया गया है कि सलग्न मानचित्र के अनुसार लाल रंग से दर्शित भाग मे प्रतिवादी का स्वामित्व व अध्यासन रहेगा।

2– यह कि संलग्न मानचित्र मे हरे रंग से दर्शित भाग में वादी का स्वामित्व व अध्यासन रहेगा।

3– यह कि वादी व प्रतिवादी एक दूसरे के स्वामित्व व अध्यासन में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही करेगें और न ही एक दूसरे के शान्तिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगे और न ही इसका कारण बनेगें।

4– यह कि यह न्याय के हित में है कि उपरोक्त समझौतें के अनुसार वाद को निर्णित कर दिया जावें।

अतः माननीय महोदय से नम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त समझौते के अनुसार वाद को निर्णित कर दिया जावें।

प्रतिवादी

वादी

दिनांकः 16–09–2013

देहरादून

प्रस्तुत कर्ता

प्रतिवादी

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

आज दिनांक 21·9·13 को वादी सुरजीत सिंह की
तरफ हाजिर है। ~~प्रतिवादी~~ वादी सुरजीत की
शिनाख्त की रोशन सिंह पि0 श्री ... की है
प्रतिवादी श्री गोविन्द सिंह, स्वयं हाजिर है। जिसकी
शिनाख्त श्री प्रवीण कुमार एड0 ने की है
पक्षकारों को सुलहनामा पढ़ कर सुनाया गया
पक्षकारों ने सुलहनामा पढ़ कर सुनाया समझकर
स्वेच्छा से बिना किसी भय व दबाव
के स्वीकार किया तदनुसार सुलहनामा
तस्दीक किया जाता है।

Received
प्रतिवादी
Sig [signature]
(Tole)
(Praveen Kumar)
Advocate verified.

S.S.
वादी
Sig identified by
[signature]
(Ravinder Singh)
Advocate

न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट व
सेशन जज
देहरादून
उत्तराखण्ड

Civil Judge (S.D.)
Dehra Dun
21-9-13

सत्य प्रतिलिपि
24-9-13
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग (सिविल)
जनपद-न्यायालय, देहरादून

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे का मूल्यांकन अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया है?यह वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों पर आधारित है अतः इसके सिद्धी का भार भी प्रतिवादी पर है।

वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे का मूल्यांकन अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है।

जबकि इसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदाया वादी के विरूद्ध उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा योजित किया गया है तथा उस पर नियमानुसार अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा वादी के विरूद्ध दघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा योजित किया गया है और प्रतिवादी ने नियमानुसार प्रतिदावे का मूल्यांकन करते हुए उस पर अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया है। जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे विदित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा अल्पमूल्यांकित कर अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया हो। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिदावे का मूल्यांकन उचित किया गया है तथा उस पर अधिकतम न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु लंच बाद पेश हो।

21.9.2013

सिविल जज(सी.डि.)
देहरादून।

No evidence is required
21/9/13

दिनांक 21.9.2013

पत्रावली लंच बाद लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। वाद पुकारा गया ।

पत्रावली मेगा लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। उपयपक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

21/9/13 पक्षकारों की ओर से अभिकथन किया गया कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना है। अतः पक्षकारों की साक्ष्य समाप्त की गई।

पक्षकारों की ओर से कथन किया गया कि उनका आपस में समझौता हो गया है अतः उनके द्वारा दाखिल राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 के आलोक में वाद का निस्तारण कर दिया जाये।

उत्तराखण्ड न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) देहरादून

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रपत्र 22ए/1 लगायत 22ए/2 प्रस्तुत किया गया है तथा पक्षकारों के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किया गया । उक्त राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 पक्षकारों को पढकर सुनाया व समझाया गया, पक्षकारों द्वारा उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव एवं प्रलोभन के स्वतंत्र सहमति से किया जाना बताया गया। जिसके बाद पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा हस्ताक्षरित किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया था।

ऐसी परिस्थिति में जबकि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा 22ए/1लगायत 22ए/2 के आलोक में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादी के मध्य हुए राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 के आलोक में निर्णीत किया जाता है। राजीनामा 22ए/1 लगायत 22ए/2 डिकी का भाग रहेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) देहरादून

21.9.2013
सिविल जज (सी.डि.)
देहरादून।

सत्य प्रतिलिपि
24-9-13
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग (सिविल)
जनपद-न्यायालय, देहरादून

, Advocate

Civil Court Compound
Dehradun
397841103

5 रु. भारत INDIA Rs. 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत INDIA Rs. 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु
प्रतिलिपि हेतु न्यायालय शुल्क- 10/- रूपयें

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
60 23 SEP 2013	24 SEP 2013	24-9-13	[signature]

न्यायालय..........................
अपर सिविल जज (सी०डि०)
देहरादून
मूलवाद संख्या 308/13
[illegible] m [illegible]

न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट व
सेशन जज
देहरादून
उत्तराखण्ड

संलग्न नकल [illegible]

अन्तिम-इच्छा पत्र

यह अन्तिम इच्छा पत्र आज दिनांक 4-1-2001 को स्थान देहरादून मे श्री हरि सिंह नेगी पुत्र श्री गट्टू सिंह नेगी निवासी 28 सी (65) चकरोता रोड देहरादून (जिसको इस प्रपत्र मे निष्पादक कह कर सम्बोधित किया गया है) ---- निष्पादक

जैसा कि निष्पादक सम्पत्ति संख्या 28 सी (नया नं0 65) चकरोता रोड, देहरादून का एक मात्र स्वामी व अध्यासी है। इस सम्पत्ति मे निष्पादक सपरिवार निवास कर रहा है तथा [illegible] पर व्यवसाय कर रहा है। इस सम्पत्ति के एक भाग मे एक व्यापार नेगी जनरल स्टोर के नाम से निष्पादक के पुत्र श्री सुखबीरसिंह नेगी का व्यापार चल रहा है। यह सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति के साथ विक्रेता ने श्रीमती सत्य वती गुप्ता से विक्रय विलेख दिनांक 9-5-1978 के द्वारा क्रय की थी।

और जैसा कि निष्पादक इस विलेख की सूची "क" व "ख" मे वर्णित सम्पत्ति का स्वामी व अध्यासी है। इसके अतिरिक्त निष्पादक का उक्त सम्पत्ति मे निवास व व्यवसाय है। निष्पादक ने पंजाब नेशनल बैंक यमुना कालोनी देहरादून के बचत खाता संख्या 9424 खोल रखा है तथा अन्य चल सम्पत्तियां, घर का सामान आदि भी है।

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

और जैसा कि निष्पादक का विवाह श्रीमती सीता देवी के साथ हुआ था। श्रीमती सीता देवी से तीन पुत्र क्रमशः वीर सिंह नेगी, श्री सुखबीर सिंह नेगी व गोविन्द सिंह नेगी रहे है तथा दो पुत्रियां क्रमशः श्रीमती निर्मला व कुमारी कविता है।

और जैसा कि श्री वीर सिंह नेगी गत 13 वर्षों से लापता है। और उनकी कोई जानकारी किसी सम्बन्ध मे निष्पादक व उसके परिवार को नही है विधि अनुसार वह मृत है।

और जैसा कि इस विलेख की सूचि "क" व "ख" मे वर्णित सम्पत्ति पर मे वर्णित दुकानो मे से एक दुकान पर मेरा पुत्र सुखबीर सिंह अलग दुकान करता है तथा गोविन्द सिंह अलग दुकान करता है।

और जैसा कि निष्पादक इस विलेख की सूचि "क" व "ख" मे वर्णित सम्पत्ति अपने पुत्र श्री सुखबीर सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह को देना चाहता है। श्रीमती सीता देवी के सम्बन्ध अपने पुत्रो से बहुत अच्छे है। श्रीमती सीता देवी से वर्तमान अन्तिम इच्छा पत्र अंकित करने का मैंने परामर्श कर लिया है। श्रीमती सीता देवी इस अन्तिम इच्छा पत्र को पुष्ट करती है।

और जैसा कि निष्पादक मानसिक रूप से स्थिर है। निष्पादक का वृद्ध अवस्था के कारण स्वास्थ्य नरम चल रहा है। निष्पादक को

4/1/2001

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

कैंसर रोग से पीड़ित प्रतीत किया जा रहा है। अतः निष्पादक अपनी शुद्ध बुद्धि व मन से अपना अन्तिम इच्छा पत्र अंकित व निष्पादित करना चाहता है।

अतः मैं श्री हीर सिंह नेगी पुत्र श्री गट्टू सिंह नेगी निवासी 28-सी-(65) चकरोता रोड, देहरादून शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ मन व स्वस्थ मानसिक स्थिति के रहते हुये अपनी चल व अचल सम्पत्ति की अन्तिम इच्छा निम्न प्रकार प्रकट करता है कि जो मेरे मरणोपरान्त प्रभावी होगी।

क:- यह कि पंजाब नेशनल बैंक यमुना कालोनी देहरादून मे स्थित बचत खाता संख्या 9424 मे उपलब्ध समस्त धन राशि निष्पादक की पुत्री कुमारी कविता नेगी को प्राप्त होगी तथा वह ही इसके एक मात्र स्वामी रहेगी और वह अपने विवाह मे यह धन राशि व्यय करने के लिये स्वतन्त्र रहेगी।

ख:- यह कि इस विलेख की सूचि "क" मे वर्णित सम्पत्ति के स्वामी व अध्यासी श्री सुखबीर सिंह नेगी होंगे।

ग:- यह कि इस विलेख की सूचि "ख" मे वर्णित सम्पत्ति के स्वामी व अध्यासी श्री गोविन्द सिंह नेगी होंगे।

NOTARY
Dushyant Prakash
DEHRA DUN.
GOVT. OF

न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज
देहरादून
उत्तराखण्ड

घ- यह कि समस्त अन्य एवं सम्पत्ति की स्वामी निष्पादक की धर्म पत्नि श्रीमती सीता देवी होगी।

2:- यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी वारिसान को सम्पत्ति व सम्बन्धित सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। मेरे मरणोपरान्त मेरी सम्पत्ति का स्वामित्व उपरोक्तानुसार ही होगा किसी अन्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा।

3:- यह कि वर्तमान अन्तिम इच्छा पत्र का निष्पादन श्री सुखबीर सिंह करेंगे।

सूचि-क-

सम्पत्ति संख्या 28-सी-(65) चकरौता रोड, देहरादून के भूतल मे स्थित एक दुकान पैमाईश 7 फीट 8 इंच × 8 फीट 6 इंच तथा प्रथम तल पर स्थित दो कमरे, रसोई, बरामदा, शौचालय, स्नानगृह (पूर्ण प्रथमतल)

सूचि-ख-

सम्पत्ति संख्या 28-सी-(65) चकरौता रोड, देहरादून का एक भाग कि जिसमे भूतल पर एक दुकान तथा भूतल पर स्थित दो कमरे रसोई, स्नानगृह, शौचालय, बरामदा, तथा संयुक्त भूमिखण्ड है अर्थात सूचि "क" मे वर्णित सम्पत्ति को छोड़ कर समस्त भूमितल।

NOTARY ... GOVT. OF INDIA

A 1 20

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

अतः मै हरि सिंह नेगी उपरोक्त निष्पादक ने साक्षी नं0-1 श्री कुलदीप अग्रवाल पुत्र श्री महाराज सिंह अग्रवाल निवासी रानीपुर मोड़ टिबड़ी बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार 2:- श्री जगदीप अग्रवाल पुत्र श्री महाराज सिंह अग्रवाल निवासी रानीपुर मोड़ टिबड़ी बी0 एच0 ई0 एल 0 हरिद्वार के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा उपरोक्त साक्षी ने निष्पादक के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है सभी ने एक दूसरे के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है ताकि समयानुसार काम आवे।

हरि सिंह

॥ निष्पादक ॥

Identified by

Pramod Mehta (Advocate)

साक्षी

1:- (कुलदीप सिंह अग्रवाल) टिबड़ी रानीपुर (हरिद्वार)

2:- जगदीप सिंह अग्रवाल टिबड़ी रानीपुर (हरिद्वार)

रचियता एवं फोटो सत्यापित कर्ता:- Pramod Mehta Advo.

टंकण कर्ता:- मंगल सैन

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED 4/1/2011
SUSHTANT PARASHAR
Advocate, Notary-Public
Regn. No.-694/96, Dehra Dun

सत्य प्रतिलिपि
24-9-13
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग (सिविल)
जनपद-न्यायालय देहरादून

न्यायालय जिला जज देहरादून उत्तराखण्ड

भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु

प्रतिलिपि हेतु न्यायालय शुल्क - ₹10/-

Triplicate

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
51 22 OCT 2013	22 OCT 2013	22 OCT 2013	[signature]

न्यायालय..........................
अपर सिविल जज (सी०डि०)
देहरादून

मूलवाद सं० - 358/13

सुखबीर — बनाम — गोविन्द

संलग्न नकल — निर्णय पत्र

न्यायालय सिविल जज व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CANCELLED

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

19AA 464951

न्यायालय........................

अपर सिविल जज (सी०डि०)

देहरादून

मूलवाद सं० - 358/13

गोविन्द

सुखवती

4021 ...

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Sale Deed.

THIS DEED OF SALE is made at Dehradun on this the 9th day of May,1978, between SMT. SATYAWATI GUPTA wife of late Shri Niranjan Nath Gupta, r/o 28-C, Chakrata Road, Yamuna Colony, Dehradun (hereinafter called the SELLER) of the One Part AND (1)SHRI HARI SINGH s/o Shri Gattu Singh (2) SHRI RAGHUBIR SINGH s/o Shri Gyan Singh, both r/o Gram-Sarsawa, Tehsil Nakod, Distt.Saharanpur (hereinafter called the PURCHASERS) Of the Other part.

WHEREAS, the terms Seller and Purchasers hereinafter used shall be deemed to include their respective heirs, successors and assignees, unless repugnant to the context or meaning thereof ;

AND WHEREAS, the Seller is the absolute and exclusive owner of the property described in the schedule given at the foot of this Deed, morefully shown in Red Colour in the Plan annexed hereto ;

and whereas, the Seller has agreed to sell and the Purchasershave agreed to purchase the property described in the schedule below vide agreement dated 20.8.1977, executed between

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

the parties registered in the office of the Sub-Registrar, Dehradun.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS UNDER :-

THAT in purs uance of the said agreement and in consideration of a sum of Rs.60,000/- (Rs.sixty thousand only) paid in the following manner :

Rs.10,000/- paid at the time of the agreement of sale before the Sub-Registrar, Dehradun

Rs.50,000/- paid at the time of registration of this Sale-deed before the Sub-Registrar,Dehradun.

Rs.60,000/- (Rs.sixty thousands only)

(Receipt whereof the seller hereby acknowledges), the seller hereby convey, sell, transfer and alienate all that property described in the schedule below and more clearly shown in in Red Colour in the plan annexed hereto, with all rights of easements, enjoyments etc. UNTO the purchasers TO HAVE and TO HOLD the same and that actual physical possession thereof has been delivered to the Purchasers on the spot. The

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

200 Rs

Seller hereby further covenants with the purchasers as under :-

1. That the title of the seller to the property hereby sold is free from all sorts of liens, charges and encumbrances and that the seller will keep the purchasers totally indemnified against all losses and damages, if any, found due to defective title of the seller. That the title of the seller to transfer the property hereby sold subsists.

2. That the seller shall pay and discharge payment of all kinds of taxes, cesses, ground rent etc., if any, upto date, regarding the property hereby sold.

3. That the seller shall, at all times hereafter when called upon, complete all other formalities thereto but at the costs and expenses of the Purchasers.

4. That the purchasers have become the sole owners of the property hereby sold, to derive all benefits there from, to make any constructions, additions or alterations etc. in the property hereby sold, and to use it for any purposes,

in any manner whatsoever, without any let, hindrance or interruption from the Seller or from any other person or persons claiming through, under or in trust for her.

5. That the purchasers shall not make any constructions without leaving 4-feet set-back within the 8-feet common passage between the property hereby sold and the remaining property of the seller.

6. That the property hereby sold enjoy sanitary fitting facilities within the remaining portion of the seller, which the seller shall stop forthwith or at any time when the seller likes.

7. That the property hereby sold is covered under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 and necessary permission for its sale has been obtained.

8. That the property hereby sold is situated at about 4-kilometers frOM THE Railway Station.

9. That the property hereby sold is under the tenancy of several tenants.

10. That the market value of the property hereby sold is not more than Rs.50,000/- . The stamp duty paid is sufficient.

SCHEDULE OF THE PROPERTY HEREBY SOLD.

All that double-storied building with open courtyard appurtenant thereto, bearing Municipal no.28-C, Chakrata Road, Yamuna Colony, Dehradun, measuring 198.13 sq.meters (Open aprea 31.95 s q.meters and covered area 166.18 sq.meter consisting of 4-shops in front portion and 2 flats of 2-roo

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

each in the rear portion of the ground floor, and 2 - flats of 2- rooms each on the 1st floor, occupied by several tenants, bounded and butted as under :-

North:- 6'-1½" wide common passage adjacent to the building and thereafter property of the seller.

South:- Property of Shri K.L.Verma.

East :- 8' wide common passage and thereafter land and property of the seller.

West :- Road.

IN WITNESS WHEREOF THE seller has signed this Deed on the day, month and year firstinabove written.

SELLER ____________________

(Smt.Satyawati Gupta).

WITNESSES:-

1. ____________________

2. ____________________

Drafted by:- ____________________ (Ashok Kumar Verma)Advocate, Dehradun.

TYPED BY : ____________________ (Padam Kumar Goyal)Typist, Dehradun.

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार